

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-354/2018

1. गरिमा भादू पुत्री अजय भादू जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
वादीया

बनाम्

1. अजय भादू पुत्र स्व० रणवीरसिंह जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
2. रानी पत्नी अजय भादू
3. पर्ल भादू पुत्र अजय भादू नाबालिग जरिये कुदरती वली माता स्वयं रानी पत्नी अजय
भादू जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
प्रतिवादीया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज आराजी में से चकनं० 2 एसबीएन के प०न० 227/203 मु० 11 किलानं० 23/.253 है० तथा प्रतिवादीया सं० 2 के नाम से दर्ज आराजी में से चकनं० 4 केएचआर के प०न० 228/202 मु० 7 किलानं० 18/.253, प०न० 228/203 मु० 17 किलानं० 22/2/.211, 23/2/.211 है० कुल 0.928 है० भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 2 एसबीएन के खातासं० 2/126 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा व चकनं० 4 के एचआर के खाता सं० 81 में से प्रतिवादीया सं० 2 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...13.08.2019...को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी